न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 680–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2015 पारित द्वारा अपर तहसीलदार देवास प्रकरण कमांक 23/अ–6/2014–15

1. घासीराम पिता श्री सीताराम मृतक
   निवासी खातीपुरा सुखलिया तहसील व
   जिला इन्दौर
2. कैलाश पिता श्री सीताराम जाति खाती
   निवासी खातीपुरा सुखलिया तहसील व
   जिला इन्दौर

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1. आत्माराम पिता श्री नाथुजी जाति खाती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास
2. भागीरथ पिता श्री नाथुजी जाति खाती मृतक
   (क) श्रीमती दुर्गाबाई पति भागीरथीजी खती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास
   (ब) श्रीमती कान्ताबाई पति श्री भागीरथ खाती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास
   (स) रूपसिंह पिता श्री भागीरथ खाती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास
   (द) सिंगाराम पिता श्री भागीरथ खाती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास

 निगरानी प्र0क्र0 680/दो/2015

3. ईश्वर पिता श्री गणपतजी उर्फ भागीरथ खाती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास
4. हरिचरण पिता श्री गणपतजी उर्फ भागीरथ खाती
   वारिसान (अ) श्रीमती सोरमवाई वेवा हरचरण खाती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील व जिला
   देवास
   (ब) श्रीमती संजुबाई पुत्री हरिचरण (पत्नि महेश)
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास
5. लखन पिता श्री गणपत उर्फ भागीरथ खाती
   निवासी ग्राम टिगरिया गोगा तहसील
   व जिला देवास ——— अनावेदकगण

---

श्री सुशील कौशल , अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अंशाफ कुरैशी, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

:: आदेश पारित ::
(दिनांक २२ दिसम्बर, 2015)

आवेदकों व्दारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार देवास के आदेश दिनांक 28'2'2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण व्दारा ग्राम पिपल्या के पटवारी हलका नंबर 30 तहसील देवास में वर्ष 1963–64 अनुसार सर्वे नम्बर 285 रकबा 2.54 एकड़ एंव सर्वे नंबर 295 रकबा 0.33 एकड़ की भूमि राजस्व अभिलेख में जगन्नाथ एंव सीताराम

पुत्रगण नंदाजी का 2/3 हिस्सा समान भाग में एवं श्रीमती सोनीबाई विधवा जयराम 1/3 हिस्सा रहा है के बावत नामांतरण आवेदन तहसील न्यायालय में पेश किया। प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान आवेदकगण ने एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 एवं सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 केअन्तर्गत प्रस्तुत किया। उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28–2–15 के द्वारा आवेदकगण का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का आवेदन पेश कर अवगत कराया था कि अनावेदगण ने दिनांक 27–2–1963 में भूमि कय करने के 27 साल बाद नामांतरण के लिए आवेदन दिया जबकि सीताराम की मृत्यु 1962 में हो गई थी। जब मृत्यु 1962 में हो गई थी तब 1963 में विकय पत्र करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अनावेदगण द्वारा डिकी दिनांक 30–7–1969 को डिकी के आधार पर नामांतरण चाहा है जबकि म्याद अधिनियम में धारा 136 में स्पष्ट प्रावधान ळै कि डिकी 12 साल तक प्रभाव में रहती है। यह भी तर्क दिया कि फर्जी विकय पत्र के आधार पर नामांतरण चाह रहे हैं। विकय पत्र पर हर जगह मृतक सीताराम के अलग अलग हस्ताक्षर हैं। यह भी तर्क किया कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में मृतक सीताराम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था, परन्तु फिर भी तहसीलदार ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 28–2–15 निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क

दिया कि अनावेदकगण ने विक्रय पत्र एंव डिक्री के आधार पर नामान्तरण चाहा है। आवेदकगण व्दारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी फर्जी तैयार कराया है। यह भी तर्क दिया कि जब आपस में बटवारा नहीं होने की बात सामने आई तो अनावेदकगण व्दारा डिक्री कराई थी । जब मृत्यु 1962 में हुई तब उसके पश्चात् मृतक सीताराम ने अन्य गांव में जाकर भूमि कैसे खरीद ली। इसके अतिरिक्त यदि नामान्तरण के लिये कोई आवेदन पेश नहीं करता तो मालिकाना हक समाप्त नहीं हो जाते । तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न तहसील न्यायालाय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया।

6/ अपर तहसीलदार देवास के प्रकरण कमांक 23 अ–6/2013–14 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–2–15 से आवेदकगण ( अपर तहसीलदार के समक्ष अनावेदक) व्दारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया आदेश संहिता आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन सारहीन होना अंकित कर निरस्त किया है जबकि इस आवेदन में आवेदकगण की मुख्य आपत्ति यह है कि वाद ग्रस्त भूमि मृतक सीताराम एंव श्रीमती सोनीवाई से 27–2–1962 में कय की गई है जबकि सीताराम की मृत्यु इन्दौर शहर में हुई है ऐसी स्थिति में 27–2–63 को विक्रय पत्र लेखबद्व कर कब्जा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार श्रीमती सोनावाई की मृत्यु इन्दौर शहर में रहते हुये 30–8–1992 को हुई है। व्यवहार न्यायालय के दीवानी प्रकरण कमांक 161–ए/1967 में दिनांक 30–7–1969 को जो जयपत्र प्राप्त किया है उसमें सीताराम की मृत्यु 1965 में होना बताया है उस समय प्रतिप्रार्थीगण नावालिग थे इस प्रकार जयपत्र असत्य आधारों पर है क्योंकि मृतक सीताराम एंव सोनीवाई इन्दौर में रहते थे जबकि 27–2–63 को विक्रय पत्र में उन्हें ग्राम

टिगरीया गोमा देवास कर रहने वाला अंकित किया गया है। सीताराम की मृत्यु 7–3–1962 को इन्दौर में रहकर होना बताते हुये व्यवहार न्यायालय के जयपत्र के 45 वर्ष वाद परिसीमा अधिनियम की बाध्यता बताते हुये प्रकरण निरस्त करने के अपर तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की गई है, परन्तु अपर तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–2–15 पारित करते समय उक्त आपत्तियॉ क्यों माने जाने योग्य नहीं है– विस्तृत विवेचना करके निष्कर्ष नहीं दिया है अपितु अंतरिम आदेश दिनांक 28–2–15 में संक्षिप्त में इस प्रकार अंकित किया है :–

**" प्रकरण में इस आवेदन पर उभय पक्ष बहस श्रवण करने उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रतिप्रार्थी व्दारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है "**

अपर तहसीलदार ने आवेदकगण व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में दिये गये आपत्ति का सकारण निराकरण नहीं किया एंव आवेदन सारहीन क्यों माना, इसे भी स्पष्ट नहीं किया।

7/ अतः उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक–रूप से स्वीकार कर अपर तहसीलदार देवास व्दारा प्रकरण कमांक 23 अ–6/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–2–15 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि आवेदकगण व्दारा व्यवहार प्रकिया आदेश संहिता आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण विधिवत् करते हुये प्रकरण में आगामी कार्यवाही संपादित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर